विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैः

अध्याय-I : प्रस्तावना

अध्याय-II :
- (i) 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा

  (ii) 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-III : विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 552.45 करोड़ है।

अध्याय-I: प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले 53 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं 19 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि), जो कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं, की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2021–22 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 106 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा तथा 'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा के परिणाम एवं सात विभागों[1] एवं पीएसयू/प्राधिकरणों से सम्बन्धित 14 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान तीन विभागों के सात प्रकरणों में ₹ 23.95 करोड़ की वसूली इंगित की गयी जिसे सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया गया। इसके विरुद्ध, छः प्रकरणों में ₹ 21.23 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी।

अध्याय-II: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

'उत्तर प्रदेश सरकार के अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों' की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की स्थापना (फरवरी 1974) विभिन्न मामलों में प्रशासनिक विभागों को सहायता प्रदान करने, पीएसयू को उनके नियमावली और नियम तैयार करने में सहायता करना, सुधार/पुनर्वास/पुनर्गठन पैकेज की तैयारी एवं निष्पादन में और गतिविधियों को बंद करने के निष्पादन में सहायता करने, पीएसयू के प्रबंधन के मार्गदर्शन के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश निर्धारित करने और पीएसयू के कामकाज पर राज्य सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, आदि के लिए किया।

---

[1] ऊर्जा विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पर्यटन विभाग; लोक निर्माण विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग।

31 मार्च 2021 तक, उत्तर प्रदेश में 115 पीएसयू (42 अकार्यरत पीएसयू सहित 109 सरकारी कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) थे। इन अकार्यरत पीएसयू ने, जो 1924 से 2013 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के साथ निगमित हुए थे, एक वर्ष से 39 वर्षों तक की अवधि से अपना कार्यकलाप बंद कर दिया था। 42 अकार्यरत पीएसयू में से, 29 पीएसयू के संचालन को बंद करने के आदेश/निर्देश सरकार या निदेशक मण्डल द्वारा जारी किये गए थे जबकि 13 पीएसयू परिसमापनाधीन थे। 31 मार्च 2021 को इन 29 पीएसयू में कुल निवेश, कुल संचित घाटा एवं निवल मूल्य क्षरण क्रमशः ₹ 1,045.93 करोड़, ₹ 1,212.65 करोड़ एवं ₹ 632.38 करोड़ था।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैः

- 29 अकार्यरत पीएसयू का संचालन एक से 31 वर्षों से बंद था। इनमें से, दो पीएसयू में एक से दस वर्ष, 10 पीएसयू में 11 से 20 वर्ष, चार पीएसयू में 21 से 25 वर्ष एवं 13 पीएसयू में 26 से 31 वर्ष के दौरान बंद होने की अवधि थी। प्रशासनिक विभागों या डीपीई द्वारा इनके समापन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। 29 अकार्यरत पीएसयू में से 10 पीएसयू का निवल मूल्य ऋणात्मक था।

(प्रस्तर 2.1.8)

- अकार्यरत पीएसयू के संसाधनों का प्रबंधन किसी नीति, दिशा–निर्देशों और अनुश्रवण तंत्र के अभाव में खराब था।

(प्रस्तर 2.1.9)

- मार्च 2021 तक लेखापरीक्षित अकार्यरत पीएसयू के पास अचल सम्पत्ति, देनदार और ऋण एवं अग्रिम क्रमशः ₹ 12.09 करोड़, ₹ 24.05 करोड़ एवं ₹ 32.26 करोड़ की धनराशि थी। ये सम्पत्तियाँ अप्रयुक्त पड़ी हुयी थीं एवं इन पीएसयू के संचालन के बंद होने के पश्चात् से देनदार और ऋण एवं अग्रिम बिना वसूली के पड़े हुए थे लेकिन पीएसयू, प्रशासनिक विभागों, डीपीई एवं सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) के स्तर पर उचित अनुश्रवण तंत्र के अभाव में पीएसयू द्वारा उनके मौद्रिकरण/वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के कारण उक्त धनराशि की वसूली संदिग्ध है।

(प्रस्तर 2.1.9.1 एवं 2.1.9.2)

- कम्पनी की 50.04 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के सापेक्ष ₹ 34.67 करोड़ के ऋण को बट्टे खाते में न डालने एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम्पनी को ₹ 16.18 करोड़ का नगद भुगतान न करने के कारण, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड की ऋण के प्रति देयता उस पर ब्याज संचय के कारण ₹ 34.67 करोड़ से बढ़कर ₹ 46.71 करोड़ हो गई एवं अन्य देनदारियाँ भी मार्च 2021 तक ₹ 16.18 करोड़ से बढ़कर ₹ 21.07 करोड़ हो गई।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

- प्रशासनिक विभागों द्वारा दोषपूर्ण अनुश्रवण के कारण पीएसयू के परिसमापन की प्रक्रिया सात से 39 वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पूर्ण नहीं का जा सकी।

(प्रस्तर 2.1.11.1)

- 29 अकार्यरत पीएसयू में से 27 के वार्षिक लेखों को एक से 39 वर्षों की अवधि से अन्तिमीकृत नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.1.11.4)

- अकार्यरत पीएसयू के समापन में विलम्ब के कारण मार्च 2021 तक इन पीएसयू द्वारा कर्मचारियों, सुरक्षा एवं दिन–प्रतिदिन के कार्यकलापों पर ₹ 131.28 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 2.1.12.1)

'उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत संयंत्रों के मरम्मत एवं अनुरक्षण' की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) को 25 अगस्त 1980 को राज्य में नई ताप विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली राज्य सरकार के कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था।

ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की मरम्मत एवं अनुरक्षण (आर एण्ड एम) समयबद्ध गतिविधियाँ हैं जो सामान्यतः निविदा प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं और टीपीपी द्वारा विद्युत के अनुकूलतम उत्पादन के लिए इसे यथा–समय पूर्ण करना आवश्यक है। यूपीआरवीयूएनएल में, आर एण्ड एम पर 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि के दौरान कुल व्यय क्रमशः ₹ 502.95 करोड़, ₹ 549.29 करोड़ एवं ₹ 472.64 करोड़ था। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्न हैः

- टीपीपी की कैपिटल ओवरहालिंग हेतु ओईएम अनुसूची के अनुसार रोलिंग प्लान तैयार नहीं किया गया था। ओईएम द्वारा निर्धारित समय–सारणी की तुलना में कैपिटल ओवरहालिंग की योजना बनाने में दो से पाँच वर्षों का महत्वपूर्ण विलम्ब हुआ था। इस कारण, उत्पादन इकाइयों का प्रदर्शन ह्रासित हो गया।

(प्रस्तर 2.2.8)

- नियोजित आवेरहाल के सापेक्ष टीपीपी के कैपिटल ओवरहालिंग में 71 प्रतिशत एवं वार्षिक ओवरहालिंग/मिनी ओवरहालिंग में 53 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी थी। ओवरहालिंग की समय–सारणी का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप उत्पादन में हानि हुई एवं अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना पड़ा।

(प्रस्तर 2.2.10)

- चार टीपीपी में, जिनमें निर्धारित ओईएम अनुसूची के अनुसार समय पर कैपिटल ओवरहालिंग नहीं की गयी थी, इकाइयाँ यूपीईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में कम पीएलएफ पर चल रही थीं, जिससे 2018–19 से 2020–21 के दौरान 277.97 एमयू ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई। परिणामस्वरूप, यूपीपीसीएल को निजी विद्युत उत्पादकों से उपरोक्त सीमा तक ऊर्जा क्रय करनी पड़ी जिसके कारण ₹ 39.22 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(प्रस्तर 2.2.11)

- परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार परीक्षण न करने के कारण जनरेटर ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन पर यूपीआरवीयूएनएल को ₹ 7.82 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.12)

- यूपीआरवीयूएनल, क्रय करने से पूर्व बियरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, अनपरा टीपीपी की इकाइयाँ उत्पादन हेतु बंद/ट्रिप रही जो परिहार्य थी।

(प्रस्तर 2.2.13)

- हरदुआगंज टीपीपी में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापना की प्रभावी अनुश्रवण के अभाव में इकाई को अतिरिक्त 11 दिनों के लिए बंद करना पड़ा, जिससे 2.253 मिलियन ऊर्जा के उत्पादन की हानि के साथ ₹ 2.47 करोड़ के फिक्स चार्ज की हानि हुई।

(प्रस्तर 2.2.14)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड दक्षता मापदण्डों का पालन करने में विफल रहा और कोयला मंत्रालय द्वारा निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने के कारण उसको ₹ 82.50 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(प्रस्तर 2.3)

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने एक एचवी–2 श्रेणी के उपभोक्ता पर गलत टैरिफ लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ की कम बिलिंग हुई जिसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद वसूल किया गया।

(प्रस्तर 2.4)

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने, एचवी–1 श्रेणी के बजाय एचवी–2 श्रेणी के अन्तर्गत उपभोक्ताओं की बिलिंग करने के कारण, ₹ 2.77 करोड़ के राजस्व का कम प्रभारण किया।

(प्रस्तर 2.5)

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से ₹ 1.17 करोड़ की धनराशि के लागू प्रभारों की कम वसूली की।

(प्रस्तर 2.6)

अध्याय-III: विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लोक निर्माण विभाग ने लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के गलत मूल्य पर गणना करने के कारण सड़क के क्रस्ट में डेन्स बिटुमिनस मैकडैम और बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परतें बिछाकर ₹ 2.02 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(प्रस्तर 3.1)

लोक निर्माण विभाग द्वारा बांदा बाईपास सड़क पर ₹ 41.89 करोड़ का व्यर्थ व्यय किया गया जो निर्धारित समापन अवधि से नौ वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने एवं निष्पादित मिट्टी के कार्य को सुरक्षित न करने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 3.2)

लोक निर्माण विभाग ने विद्युत अवसंरचना के स्थानांतरण हेतु पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में ₹ 4.45 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.3)

लोक निर्माण विभाग ने एक सड़क कार्य में पानी के टैंकर, पानी की लागत की उच्च दर और अतिरिक्त ओवरहेड शुल्क आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 3.20 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 3.4)

बाधामुक्त भूमि और उचित मांग के निर्धारण के अभाव में **उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम** ने इंटीग्रेटेड मिनी टाउनशिप और बहुमंजिला आवासीय परिसर के लिए वास्तुशिल्प सेवाओं पर ₹ 20.13 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 3.5)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम ने बाधामुक्त भूमि सुनिश्चित किये बिना औद्योगिक भूमि पर अमौसी, लखनऊ में प्रदर्शनी एवं कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया और ₹ 27.15 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

(प्रस्तर 3.6)

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के उल्लंघन में **उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण** ने सरकारी निधियों पर अर्जित ब्याज आय को अपनी आय माना और परिणामस्वरूप ₹ 1.95 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान किया।

(प्रस्तर 3.7)

सेंटर फॉर ई–गवर्नेंस द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के तहत छूट का लाभ नहीं लेने के कारण, राजकोष को ₹ 21.59 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 3.8)

पर्यटन निदेशालय किराए के रूप में प्राप्त ₹ 1.10 करोड़ की राशि राज्य कोषागार में जमा करना सुनिश्चित करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 3.9)

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विनियमित स्मारक क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 1.36 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(प्रस्तर 3.10)